पत्र संख्या— जी0पी0एफ0—01—85 / 2008 — 1597

बिहार सरकार

(भविष्य निधि निदेशालय)

वित्त विभाग

प्रेषक,

उप निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्रीमती रश्मि रेखा,
सिस्टम एनालिस्ट, वित्त डेटा कोषांग,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः— 12-4-17

विषयः— बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन—1) नियमावली, 2017 एवं बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन— 2) नियमावली, 2017 का प्रकाशन वित्त विभाग के वेव—साईट पर करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन—1) नियमावली, 2017 एवं बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन— 2) नियमावली, 2017 से संबंधित बिहार गजट संख्या 214 दिनांक 21.03.2017 एवं 215 दिनांक 21.03.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन वित्त विभाग के वेव—साईट पर करने की कृपा की जाय।

अनु0— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(12/4/17)

उप निदेशक

भविष्य निधि निदेशालय

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन 1938 (श0)

(सं0 पटना 214) पटना, मंगलवार, 21 मार्च 2017

वित्त विभाग

अधिसूचना

15 मार्च 2017

सं0 1126—भारत के संविधान के अनुच्छेद– 283 के खंड– 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतदद्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।**– (1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन–1) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी तथा 1 जुलाई 2017 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी अंशदाताओं पर लागू होगी।

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 13 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम (4) एवं उप नियम (5) जोड़े जाएँगे:–

"(4) भविष्य निधि लेखा में अंशदान की कटौती अंशदाता की वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से बन्द कर दी जायेगी।"

"(5) अंशदाता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखने का विकल्प नहीं होगा:

परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ इस संशोधन के आरंभ के पूर्व स्वीकृति दी गई हों, स्वीकृति के शर्तों के अनुसार अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखी जा सकेगी।"

3. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 32 का उप नियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"(3) कोई व्यक्ति, जो इस नियम के अधीन भुगतान का दावा करने का इच्छुक हो, इस निमित्त लेखा पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन भेजेगा। निकासी की गयी राशियों का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। वे व्यक्ति जिन्हें राशि देय हो, भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करेंगे:

परन्तु वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के मामले में ऐसे आवेदन पत्र के प्रेषण की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु संबंधित भविष्य निधि कार्यालय स्वतः ही अंतिम निकासी हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।